



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2019 के परीक्षाफल में संशोधन एवं पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 38/2019

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों, विद्यालय प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों के अंक पत्रक/सारणीयन पंजी (Tabulation Register) में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Witheld, Incomplete, Absent है तो परीक्षार्थी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक **18.06.2019** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2019 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कूटनी के लिए विद्यालय प्रधान के द्वारा इस आशय का प्रमाणक के साथ कि “**वे संतुष्ट हैं कि स्कूटनी के लिए मजबूत एवं समुचित आधार है**” अपना आवेदन पत्र अंक पत्र की छाया प्रति के साथ अग्रसारित कराकर दिनांक **10.06.2019** से **18.06.2019** तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करेंगे।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 300/- (तीन सौ) रुपये होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है। शुल्क की राशि का बैंक ड्राफ्ट “**JAC FUND**” के नाम से देय होगा एवं राँची कार्यालय के लिए राँची, संधाल परगना प्रमण्डल के लिए दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के लिए डालटेनगंज में भुगतये होगा। आवेदन के साथ अंक-पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

I. स्कूटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा:-

- (क) अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तों उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा।
- (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
- (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा।

II. स्कूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्कूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। अतएव वार्षिक परीक्षा- 2019 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्कूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना सम्पूरक (Compartmental) परीक्षा- 2019 अथवा वार्षिक परीक्षा- 2020 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं।

III. निर्धारित तिथि को 5:00 बजे अपराह्न के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना शुल्क के अथवा बिना विद्यालय प्रधान के अग्रसारण एवं अनुशंसा या बिना अंक पत्र की छाया प्रति के स्कूटनी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

IV. निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजे गए स्कूटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- (महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा.गो./5382/10/SECY/277/19

Dt.- 17.05.2019

D.O.P.- 18.05.2019